न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 12/21 तारीख 12.2.2021

01. धापुदेवी पत्नि रमेशचन्द्र जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

01. दूदानाथ पिता नाथुनाथ जाति कालबेलिया उम्र वयस्क उम्र वयस्क निवासी किशनपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. दुदानाथ पिता कानानाथ जाति कालबेलिया उम्र वयस्क उम्र वयस्क निवासी किशनपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. सिमराबाई पत्नि कैलाशचन्द्र जाति कालबेलिया उम्र वयस्क उम्र वयस्क निवासी किशनपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
04. मोतीनाथ पिता रतननाथ जाति कालबेलिया उम्र वयस्क उम्र वयस्क निवासी किशनपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 12.2.2021

प्रार्थना पत्र धापुदेवी पत्नि रमेशचन्द्र जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 73 पर अंकित आराजी संख्या 213/65, 214/65, 245/6, 246/9, 5, 6 कुल किता 6 रकबा 3.1727 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 73 पर अंकित आराजी संख्या 213/65, 214/65, 245/6, 246/9, 5, 6 कुल किता 6 रकबा 3.1727 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

FROM 111

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम **वगैराह**

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र 111–128 राज0ले0रे0 एक्ट मुकदमा नं0 13 सन् 2021

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-2-21	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र स्वामित्व बाबत् नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिससे जाहिर होता है कि पत्थर गढ़ी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 111–128 रा0ले0रे0 एक्ट स्वीकार किया है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्थरगढ़ी शुल्क 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया माण्डल को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्रावली निर्णित शुमार समझी जाकर नम्बर से कम की जावें। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा	